

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—741 / 2012
संस्थित दिनांक—13 / 09 / 2012
फाई.नं.—234503000232012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

गोविंद वाडिवा पिता सहागूलाल वाडिवा, उम्र—35 वर्ष,
जाति गोड, निवासी—ग्राम चंदिया, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—30.11.2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—23.08.2012 को समय 08:00 बजे स्थान ग्राम चंदिया थाना बैहर में फरियादी साहोबाई को लोकस्थान अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को धकेलकर, कुल्हाड़ी के बेसा(डंडा) से बाएं जांघ में मारकर एवं मुह दबाकर नोच खसोट कर फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी साहोबाई ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—23.08.2012 को सुबह करीब आठ बजे उसने सरकारी जमीन पर मिट्टी डालकर उपजाऊ बनायी थी उसके आसपास रुधान लगा रही थी। तभी गांव का अभियुक्त गोविंद आया था और बोला था कि उसकी जमीन पर रुधान क्यों लगा रही है, कहकर फरियादी को मां बहन की अश्लील गंदी गंदी गालियां देकर, गाली गलौच कर फरियादी के

धकेल दिया था। जिससे फरियादी जमीन में गिर गयी थी। उसके बाद अभियुक्त ने उसके हाथ में रखी कुल्हाड़ी के बेसा से फरियादी की बायीं जांघ में मारा था और फरियादी के मुह को दबाकर नोच खसोट दिया था। तभी पास में मवेशी चरा रहे गायकी ने चिल्लाकर अभियुक्त से बोला था कि मारपीट क्यों करता है तब अभियुक्त वहां से चला गया था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-121/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तब अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-23.08.2012 को समय 08:00 बजे स्थान ग्राम चंदिया थाना बैहर में फरियादी साहोबाई को धकेलकर, कुल्हाड़ी के बेसा(डंडा) से बाएं जांघ में मारकर एवं मुह दबाकर नोच खसोट कर फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- साहोबाई अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच-छः वर्ष पूर्व की ग्राम चंदिया की चार बजे की है। घटना के समय साक्षी सरकारी जमीन पर मिट्टी डालकर रुधान लगा रही थी। तभी अभियुक्त आया था ओर उसका अभियुक्त से झगड़ा हो गया था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट की थी जो प्र.पी.01 है। पुलिस ने साक्षी की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। साक्षी को प्र.पी.01 की रिपोर्ट एवं प्र.पी.03 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पढ़कर सुनाया एवं समझाया था तो साक्षी ने प्र.पी.01 की रिपोर्ट एवं प्र.पी.03 के पुलिस कथन का क्रमशः ए से ए भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी

साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। साहोबाई अ.सा.1 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी साहोबाई को धकेलकर, कुल्हाड़ी के बेसा(डंडा) से बाएं जांघ में मारकर एवं मुह दबाकर नोच खसोट कर फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7- प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

8- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें।

9- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल्हाड़ी का बेसा अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट